

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 152562 /

पटना, दिनांक 19/06/13

सं०सं०- ग्रा०वि०-६/अभि०- ०१-०९/२०१३

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
(बेगूसराय, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सीवान,
सुपौल एवं वैशाली को छोड़कर)


विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) मद में द्वितीय किस्त का विमुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तिय वर्ष- २०१२-१३ में आपके जिले से संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) का प्रथम/ द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति भारत सरकार के द्वारा नहीं हो पायी है ।

यदि पिछली प्रथम/द्वितीय किस्त जारी न की गई हो या कुछ शर्तों पर जारी की गई हो, तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रथम किस्त के लिए शर्तें पूरी करने के पश्चात/ द्वितीय किस्त के नही विमुक्त करने के कारणों का निस्तार करते हुए निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार से अगली किस्त के विमुक्ति का औपचारिक अनुरोध करते हुए इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि अग्रतर कारवाई की जा सके ।

विश्वासभाजन


19/06/13.
(मनोज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।